Journal of Social Review and Development, 2024; 3(1):124-126 ISSN NO: 2583-2816

Special Issue

"(Global Partnership: India's Collaboration Initiatives for Economic and Social Growth)"

सतत् विकास में भारत की भूमिका

Dr. Maya Bharti

Assistant Professor, Department of Political Science, Gov. Raza PG College, Rampur, Uttar Pradesh, India

Correspondence Author: Dr. Maya Bharti

सारांश

भारत की भूमिका सतत विकास में महत्वपूर्ण है। भौतिकतावादी समाज में मनुष्य का स्वरूप विकसित हो रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग न केवल वर्तमान पीढ़ियों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी सुनिश्चित हो। इसके लिए अवधारणाओं की आवश्यकता है जो मानवता की आवश्यकताओं को पूरा करती हों और विकास की सीमाओं को समझाती हों। इस अध्ययन में, हम ब्रंटलैंड रिपोर्ट के दो मुख्य अवधारणाओं को विशेष ध्यान देते हैं – मानवता की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति और विकास की सीमाएं।

मूलशब्दः सतत विकास, भारत, प्राकृतिक संसाधन, भौतिकतावादी, विकास की सीमाएं, मानवता की आवश्यकताएं, वर्तमान, भविष्य, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, मानव समाज।

परिचय

भौतिकतावादी के इस अंधाधुन युग में मनुष्य अपने प्रकृति, सभ्यता, समाज यहाँ तक कि स्वंय अपने आप से विलग होता जा रहा है। मनुष्य अपने स्वयं के प्राकृतिक आनंद को भौतिकतावादी सूखों पर न्यौछावर कर दिया है। विकास की जिस परिभाषा का आरंभ मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से शुरूआत हुआ था। उसके वर्तमान स्वरूप पर नजर डाले तो पाते है कि मानव जीवन गौण तथा विकास का विभत्स भौतिकतावादी स्वरूप प्राथमिक हो गया है। चल अचल संपत्ति के अथाह संग्रह में मनुष्य ने प्रकृति के संसाधनों का इस तरह दोहन शुरू किया कि आने वाले पीढियों के लिए प्राकृतिक संसाधन अपर्याप्त या समाप्त हो जायेगा।

सतत् विकास की अवधारणा भविष्योन्योमुखी न्यायसंगत और समावेशी विकास को अपने में समाहित किये हुए विकास का ऐसा प्रतिरूप है जिसमें प्राकृतिक संसाधनो का प्रयोग इस तरह किया जाए कि वर्तमान पीढियों के साथ–साथ भविष्य के मानव समाज के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग (1983) के अंतर्गत बर्टलैंड कमिशन द्वारा जारी रिपोर्ट (1987) के अनुसार अपने आवश्यकताओ से समझौता किये बिना आने वाली पीढी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत् विकास हैं। ब्रंटलैण्ड रिपोर्ट में सतत् विकास के दो मुख्य अवधारणाओं पर प्रकाश डाला गया है।

(1) मानवता की बुनियादी जरूरतों– भोजन, वस्त्र, आवास, रोजगार, की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना तथा गरीबों के जरूरतों पर ध्यान देना ।

(2) विकास की सीमांए– विकास की कोई सीमा नहीं है। अपितु प्रौद्योगिकी और विकास के उस प्रतिरूप को अपनाना जिसमें वर्तमान के साथ –साथ भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सकें।

सुरक्षित भविष्य के मददेनजर यू.एन.ओ ने वैश्विक स्तर पर मानव जीवन के स्तर को सुधारने के लिए सहत्राब्दी विकास लक्ष्यों को 2015 तक हासिल करने की इच्छा व्यक्त की थी। जिसमें गरीबी और भूखमरी को मिटाना, प्राथमिक शिक्षा, जैंडर समानता, मातृत्व में सुधार तथा बाल मृत्यु दर में सुधार, तथा पर्यावरणीय विकास आदि बिन्दु शामिल है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य अपने उद्देश्यों में समावेशी विकास को समाहित किये हुए था। चूंकि वर्ष 2015 तक की अवधि समाप्त हो चूका था और अभी भी वैश्विक समस्याएं विद्यमान थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बर्ष 2030 तक के लिए संधारणीय विकास लक्ष्य को 17 बिंदुओं के अंतर्गत रखा हैं जो निम्न हैं–

- गरीबी के सभी रूपों का पूरे विश्व में समाप्ति।
- भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि।
- सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढाबा देना।
- समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिचित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
- सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिचित करना।
- सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिचित करना।
- सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक।
- रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढावा देना।
- सतत् औद्योगिकरण को बढावा देना।
- देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
- सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव वस्तियों का निर्माण।
- स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।
- स्थायी सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
- सतत् उपयोग को बढावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव–जैवविविधता के

बढते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।

- सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढावा देने के साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह पूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
- सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

सतत् विकास के घटक – सतत् विकास के मुख्यत; तीन घटक है।

1– **सामाजिक**– जीवन गुणवत्ता को बढाना तथा विसमताओं की समाप्ति तथा समानता तथा विविधतता की स्वीकृति।

2– **आर्थिक**– पर्यावरणीय उधोग तथा नवीकरणीय संसाधनों को बढावा देना।

3– **पर्यावरणीय**– जीव जंतु तथा वनों की सुरक्षा एंव संर्वधन।

उपर्युक्त तीनों घटक सतत् विकास के स्तंभ माने जातें है और इन स्तंभो को मजबूत करने के लिए एजेंण्डा– 21 एक प्रमुख दस्तावेज हैं जो सतत विकास के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करता हैं।

सतत् विकास के स्तंभो को मजबूत करने के लिए प्रमुखता चार क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जो निम्न है। –

1– **सामाजिक और आर्थिक आयाम**– इसमें गरीबी से लड़ना तथा शहरी नियोजन को बढावा देना आदि।

2– **संसाधनों का संरक्षण एंव प्रबंधन**– स्थलीय तथा महासागरीय जीव–जंतु की रक्षा तथा वनों की कटाई की रोकथाम।

3– प्रमुख समूह महिला विकलांग बच्चों के सशक्तिकरण स्थानीय सरकारो और गैर सरकारी संगठनों जैसे प्रमुख समूह की भूमिका को मजबूत करना।

4– **कार्यान्यवयन के साधन**– पर्यावरणीय तकनीकि का विकास आदि।

इस प्रकार देखे तो पाऐगे कि सतत् विकास एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति है जिसमें वैश्विक, समाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, आयामो, को सुरक्षित एवं संवर्धित किया जा सकता है। तथा समावेशी विकास को भी स्थापित किया जा सकता है।

सतत् विकास में भारत की भूमिका

सतत् विकास की अवधारणा भारतीय परिदृश्य मे कोई नई बात नही है। सतत् विकास की आधारभूत सिद्वान्त यथा प्रकृति संरक्षण, वन्य जीव आदि का संरक्षण, हमारी संस्कृति में रही है। याज्ञवल्यक स्मृति में पेड़ो को काटने पर दण्ड का प्रावधान था। चन्द्रगुप्त मौर्य ने वैदिक ऋचाओ में पीपल, तुलसी, रूद्राक्ष, कदम्ब, आदि को पवित्र उनकी पूजा किया जाता था । अंहिसा परमोधर्मः हमारी मूल में रही हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात् हमारे संविधान के विभिन्न प्रावधानो में यथा– अनुच्छेद 48क, 51क(छ), अनुच्छेद14, अनुच्छेद15, अनुच्छेद16, अनुच्छेद21 आदि, में समावेशी विकास को अपनाया गया हैं ।विभिन्न वन संरक्षण अधिनियम ,जीव–जन्तु संरक्षण अधिनियम, भूखमरी, बेरोजगारी, आदि को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास शुरू हो गए थे।

कृषि, वन और मृदा संरक्षण पर एशियाई क्षेत्र कार्यवही कार्यक्रम के लिए राष्ट्र संघ कंवेशन टू कांबेट डेजर्टिफिकेश द्वारा मेजबान देश पदनामित किया गया है। इसके सदस्य देशों का यह दायित्व है कि वे रेगिस्तानीकरण और सूखे से सम्बंधित समस्त मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य–योजना बनाए।

सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने तथा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मध्य इन्हें अर्जित के करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 'इण्डिया इण्डेक्स' तैयार किया गया है। जीव–जन्तु संरक्षण के लिए भारत ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम तैयार किया और 2004 में नियमावली को अधिसूचित किया ताकि जैवविविधता कंवेषन के प्रावधानों को लागू किया जा सके।

इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु तीन स्तरीय संस्थागत प्रारूप तैयार किया गया। जिसमें – जैव राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण (एन बी ए), राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियां, सम्मिलित होंगे। भारत ने 10 जून 1992 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त संघ राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कंवेषन (यू एन एफ सीसीसी) पर भी हस्ताक्षर किये और एक नवम्बर 1993 को इसकी पुष्टि भी किया है। इसके अतिरिक्त भारत ने 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एन इ पी) को स्वीकार किया है जो कि सतत् विकास की भावना पर आधारित है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 में वनों, वन उत्पादों, इमारती लकड़ीयों और अन्य वन उत्पादों से संबंधित कानून को प्रभावी बनाया गया है। भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत 2002 में ऊर्जा सक्षमता व्यूरो का गठन किया है।

संधारणीय विकास लक्ष्यो की प्राप्ति तथा मूल्याकन के लिए भारत विश्व का एक ऐसा पहला देश है जिसने संधारणीय विकास लक्ष्यो के लिए इंडेक्स बनाया है जिसे एसडीजी इंडिया एंड डैशबोर्ड इंडेक्स कहते है। भारत ने साल 2020–21 में संधारणीय विकास लक्ष्यो की प्राप्ती में और अधिक प्रगति करने की दिशा में और अधिक प्रगति किया है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया एंड डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2018–19 में 57 से बढ कर 2019–20 में 60 हो गया है।

एसडीजी इंडिया एंड डैशबोर्ड इंडेक्स के अनुसार केरल राज्य लक्ष्यो की प्राप्ती में प्रथम स्थान पर है। भारत सम्पूर्ण समाज के सिद्वान्त का उपयोग करता है। जिसमें एसडीजी के कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए केन्द्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारे, एनजीओ,नागरिक समाज आदि प्रयासरत है।

एसडीजी के पहले लक्ष्य गरीबी उन्मूलन में भारत के प्रयास की बात करे तो पाते है कि ग्रामीण मिशन, मनरेगा, कौशल विकास योजना, आजीविका मिशन आदि के माध्यम से बदलाव किया जा रहा है। जिसके माध्यम से मानव क्षमताओ में वृद्वि, गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी सेवाओ की स्थापना की प्राप्ती हो सके। साल 2023 तक किसानो की आय दुगुनी करने का प्रयास किया गया।

एसडीजी के दूसरे लक्ष्य भूखमरी को समाप्त करने के लिए खाद्यान्न वितरण, नई एग्रीकल्चर नीति, खाद्यन्न सुरक्षा अधिनियम, आदि का प्रावधान किया गया है। भारत एसडीजी के सभी लक्ष्यो के लिए विभिन्न योजनाओ के माध्यम से तत्परता दिखा रहा है। जेंडर सशक्तीकरण, जेंडर समानता भूमण्डलीय विकास एजेंडे के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा में मुख्यत; प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों तक शिक्षा की सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रयासरत है।

निष्कर्ष

भारत ने देश की जलवायु प्राथमिकताओं पर कार्रवाई को आगे बढाया हैं। जिसमें बाजार तंत्र में पारदर्शिता, और लोकतंत्र भी शामिल है। भारत ने विकासशील देशों के लिए पर्याप्त समय सीमा के साथ न्यायसंगत परिवर्तन की मांग की ताकि हरित अर्थव्यवस्था के लाभ सभी के साथ साझा किए जा सकें। ''ग्लासगो जलवायु करार'' अनुकूलन, शमन, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण,पर जोर देता है। यह विकसित देशों से 2025 तक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के जुटाव लक्ष्य को पूरी तरह से पूर्ण करने का आग्रह करता है और अपनी प्रतिज्ञाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देता है। बावजूद इसके सतत विकास लक्ष्यो की प्राप्ती में और ज्यादा तीव्रता लाना होगा।

भारत एवं विश्व के प्रत्येक देश के सम्मुख यह समस्या बनी हुई है कि सतत विकास की नीतियो एवं कार्यक्रमों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियो एवं देशहित संबन्धी मुद्दों को किस प्रकार एकीकृत या सामंजस्य बैठाया जाए। अतः वर्तमान में यह आवश्यक है कि विकास एजेंडा के लक्ष्य एवं उद्देश्य सार्वभौम तथा समावेशी होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. World commission on Environment & Development, Our Common Future (New York, Oxford University Press 1987).
2. World Bank, World Development Report 1992, Development & the Environmental New York, Oxford University Press, 1992, p87.
3. एम. एल. झिगन, ''विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन'' वृंदा पब्लिकेशन प्रा. लि.।
4. एस. एन. लाल एवं एस.के. लाल, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' शिवम् पब्लिशर्स।
5. आर. एस. टी. वी., Sustainable Development. विकास और भविष्य, भारत।
6. मेघा सिन्हा– पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान, वन्दना प्रकाशन।